पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव राजभवन और अन्य

बनाम

महफूज आलम और अन्य

पत्र पेटेंट अपील संख्या 459 वर्ष 2022

21 नवंबर, 2024

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

विचार के लिए मुद्दा

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 23655/2018 में पारित आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

बिहार सेवा संहिता, 2005 - नियम 74 - अनिवार्य सेवानिवृत्ति-प्रतिवादी संख्या-1 (रिट याचिकाकर्ता) राज्यपाल सचिवालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे और उनकी सेवा निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियमित की गई थी-प्रतिवादी संख्या-1 (रिट याचिकाकर्ता) को राज्यपाल सचिवालय में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यरत रहते हुए एक पत्र दिया गया था, जिसमें उनके विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही, उच्च अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने आदि का आरोप लगाया गया था-उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी-विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता) को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

निर्णीत

कर्तव्य की उपेक्षा, उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवज्ञा आदि का उल्लेख करते हुए रिट याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना - रिट आवेदन में दिया गया आदेश दंडात्मक होने के साथ-साथ कलंकपूर्ण भी था - विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता को सभी मौद्रिक लाभों के साथ बहाल करने के निर्देश के साथ दिए गए आदेश को सही ढंग से खारिज कर दिया - अपील में कोई योग्यता नहीं - अपील खारिज।

(पैराग्राफ 12 से 14)

न्याय दृष्टान्त

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य। बनाम बाबू लाल जांगिड़, **2014 (1)** पीएलजेआर **394 (**एससी**)—भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

बिहार सेवा संहिता, 2005, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005

मुख्य शब्दों की सूची

कलंक, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कर्तव्य की उपेक्षा, उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवज्ञा।

प्रकरण से उत्पन्न

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 23655/2018 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राजेंद्र कुमार गिरि, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए: श्री प्रभात कुमार वर्मा **(**एएजी-**3);** श्री संजय कुमार घोषर्वे**,** एसी टू एएजी-3

हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या- 459/2022

में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 23655/2018

==========

1. माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।
2. विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. महफूज आलम पिता महमूद आलम, निवासी क्वार्टर नंबर 111, राजभवन, राजभवन परिसर, पटना, बिहार।
2. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री राजेंद्र कुमार गिरी, विद्वान अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री प्रभात कुमार वर्मा (एएजी-3)
श्री संजय कुमार घोसरवे, एएजी-3 के एसी

==========

समक्षः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

तारीखः 21-11-2024

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह तात्कालिक अपील दिनांक 18.5.2022 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 23655/2018 की अनुमति दी गई थी।

3. रिट याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि वह बिहार के राज्यपाल सचिवालय, पटना में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, जब 27.11.1991 को उसे तृतीय श्रेणी कर्मचारी बना दिया गया। उसकी सेवा 3.1.2008 को निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियमित कर दी गई और वह राज्यपाल सचिवालय में उक्त पद पर कार्यरत था, जब बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत कथित रूप से पारित दिनांक 2.7.2018 के आदेश द्वारा रिट याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

4. उक्त आदेश को 2018 के सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं.- 23655 में चुनौती देते हुए, रिट आवेदन की अनुमति दिए जाने के बाद, रिट प्रतिवादी सं. 2 और 3 द्वारा तत्काल अपील दायर की गई है।

5. रिट प्रत्यर्थियों-अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है जो रिट याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करता है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसमें हस्तक्षेप करने में गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि यह रिट याचिकाकर्ता, एक लोअर डिवीजन क्लर्क के खिलाफ इस आधार पर पारित किया गया था कि यह सार्वजनिक या प्रशासनिक हित में नहीं था कि उसे सेवा में जारी रखा जाए। इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता जिसकी नियुक्ति 3.1.2008 को हुई थी, वह 50 वर्ष से अधिक आयु का था, उसे बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम बाबू लाल जांगिड़ [2014 (1) पीएलजेआर 394 (एससी)]

मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न तो दंडात्मक है और न ही कलंकात्मक, इसलिए न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है।

6. जवाब में, रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या- 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि राज्यपाल सचिवालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य करते समय, रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 8.9.2017 को एक पत्र दिया गया था, जिसमें उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे तथा उससे उसके संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। रिट याचिकाकर्ता ने 18.9.2017 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। रिट प्रतिवादियों ने उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया तथा आरोपों का ज्ञापन उसे 28.3.2018 को दिया गया। याचिकाकर्ता को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जो उसने 8.5.2018 को प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी द्वारा अगली तिथि 24.5.2018 तथा उसके बाद 28.5.2018 निर्धारित की गई। प्रस्तुत है कि अचानक दिनांक 2.7.2018 को आदेश पारित कर उन्हें राज्यपाल सचिवालय की सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। प्रस्तुत है कि आदेश में उनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है और रिट प्रतिवादियों ने उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के प्रावधानों का अवैध रूप से सहारा लिया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट आवेदन में आरोपित आदेश संधारणीय नहीं होने के कारण विद्वान एकल न्यायाधीश ने उसमें हस्तक्षेप करके उचित ही किया है और दायर अपील में कोई दम नहीं होने के कारण उसे खारिज किया जाए।

7. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना। रिट आवेदन के अभिलेख सहित अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

8. संक्षेप में प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि रिट याचिकाकर्ता को पटना में राज्यपाल सचिवालय, बिहार में एक लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में काम करते समय उनके

खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही, उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने आदि के आरोप लगाते हुए एक दिनांकित 8.9.2017 का पत्र दिया गया था। उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए 18.9.2017 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्हें 28.3.2018 दिनांकित ज्ञापन में निहित एक कार्यालय आदेश के साथ एक आरोप पत्र दिया गया। आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (जिसे आगे 'सीसीए नियमावली' कहा जाएगा) के नियम 16 के तहत उनके खिलाफ जांच की जा रही है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए उक्त आदेश के साथ संलग्न आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त आदेश में आरोप पत्र के रूप में तीन संलग्नक शामिल थे। पहले भाग में रिट याचिकाकर्ता की सेवा का व्यक्तिगत विवरण था, दूसरे भाग में उनके समर्थन में साक्ष्य के साथ उनके खिलाफ लगाए गए तीन आरोप थे और तीसरे भाग में लगाए गए आरोपों का सारांश था। रिट याचिकाकर्ता को अपना बिंदु-वार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिसे उन्होंने 6.4.2018 को पूछताछ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। संचालन अधिकारी ने विभागीय कार्यवाही में तारीख, 11.00 ए.एम. (पूर्वाह्न) को 13.4.2018 को निर्धारित की उसके बाद 8.5.2018,24.5.2018 और 28.5.2018 आते हैं।

9. अभिलेखों के अवलोकन पर यह पता चला कि इसके बाद रिट उत्तरदाता एक कार्यालय आदेश के साथ सामने आए, जिसे रिट आवेदन में आक्षेपित किया गया था, जो ज्ञापन सं.894 दिनांक 2.7.2018 विशेष कार्य अधिकारी (प्रतिष्ठान), राज्यपाल सचिवालय, बिहार के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया जो रिट याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करता है।

10. उक्त आदेश के अवलोकन से यह पता चलता है कि यह आदेश बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अंतर्गत पारित किया गया है। आदेश में आगे उल्लेख किया गया है

कि राज्यपाल सचिवालय, जहां रिट याचिकाकर्ता पदस्थापित था, में आवंटित कार्य के संबंध में कर्तव्य की उपेक्षा तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के कारण रिट याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा उनके उत्तर को संतोषप्रद न पाते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

11. यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभागीय कार्यवाही 2018 का मामला सं. 2 सी. सी. ए. नियमों के तहत रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ 2018 का मामला पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसमें वह पहले ही आरोप पत्र पर अपना जवाब दाखिल कर चुका है। इसके अलावा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के रिट आवेदन में आरोपित आदेश उनके खिलाफ आरोप लगाता है, जिसके कारण शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में भी सजा हो सकती है। यह स्पष्ट होता है कि कार्यवाही को बीच में ही छोड़ दिया गया था और विवादित आदेश पारित कर उन्हें अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। नंगे अवलोकन पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश अधिकारियों द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया गया था, यानी यहाँ अपीलकर्ताओं द्वारा, और उनकी सेवा के आधार पर निर्णय लिया गया कि वह जारी रखने के योग्य नहीं है, विशेष रूप से जब विशिष्ट आरोप लगाए जाते हैं और पारित आदेश में कदाचार का आरोप लगाया जाता है।

12. जहां तक राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए फैसले का सवाल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जिस चीज की जांच की जानी है, वह है संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड के आधार पर समग्र प्रदर्शन, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या संबंधित कर्मचारी बेकार हो गया है और उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है। इसने आगे कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न तो दंडात्मक था और न ही कलंकपूर्ण और यह नियोक्ता की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित था।

13. जैसा कि ऊपर देखा गया है, जहां तक तत्काल मामले के तथ्यों का संबंध है, रिट आवेदन में रिट याचिकाकर्ता को कर्तव्य की अवहेलना, उच्च अधिकारियों के निर्देशों

की अवज्ञा आदि का उल्लेख करते हुए सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के आदेश के अलावा, इन आरोपों पर ही उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी जिसमें रिट याचिकाकर्ता ने अपना जवाब भी दाखिल किया था। ये आरोप अनिवार्य सेवानिवृत्ति के क्रम में भी दिए गए हैं, रिट आवेदन में आरोपित आदेश स्पष्ट रूप से दंडात्मक होने के साथ-साथ कलंकित भी था। उक्त आदेश टिकाऊ नहीं था और रिट आवेदन में चुनौती दिए जाने पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाकर्ता को सभी मौद्रिक लाभों के साथ बहाल करने के निर्देश के साथ, तथाकथित आदेश को, सही ढंग से अपास्त कर दिया गया है।

14. न्यायालय को इस अपील में कोई दम नहीं दिखता और इसे खारिज किया जाता है, तथा शुरू की गई जांच को पूरा करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जाती है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

अविनाश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।